

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 170/2024

दायर दिनांक :- 24.09.2024

अनवान

1. कालूराम पिता भैरु कुमावत नि. सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. पांचू पिता भैरु कुमावत नि. सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3. छीतरलाल पिता उगमा कुमावत नि. सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. केसर देवी पत्नि सत्यनारायण खटीक नि. सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. बदाम देवी पत्नि रामदेव खटीक नि. सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3. रामदेव पिता सुवा खटीक नि. सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगरिया तहसील फुलियाकलां
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

.....
अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::


उपस्थित अभिभाषक

1. श्री योगेश कुमार आगाल, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 20.08.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 24.09.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा सांगरिया पटवार मण्डल क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 3265, 3264 प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पड़ता है। प्रार्थीगण वर्षों से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजी संख्या 2413, 2414 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 2413, 2414 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला भीलवाडा



प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 से 04 बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 3265, 3264 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जाँच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 12.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 2413, 2414 में से रास्ता देने पर 0.0432 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।


वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 3265, 3264 में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में नहीं होने से उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकॉर्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 3265, 3264 में आने जाने हेतु ख. न. 2413, 2414 में से रास्ता चाहते हैं। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 3265, 3264 में


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां / तहसीलदार / राज